IF UNDELIVERED PLEASE RETURN TO Regd. Office
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post By Periodical post (Press and Registration of Periodicals Act, 2023)

Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र (मारवाड़ आंचल से प्रकाशित)

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 24 | अंक 8 | सांचौर, बुधवार, 15 अप्रैल 2026 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | UDYAM-RJ-19-0033346 | कुल पृष्ठ - 4

भर्ती बोर्ड या 'अपाहिज' मरीज? अभ्यर्थी रूपी बैसाखी का इंतजार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान के सहकारी आंदोलन त्रिस्तरीय ढांचे की सबसे छोटी इकाई पैक्स लेम्पस में इन दिनों एक अजीबोगरीब विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरकार और विभाग 'डिजिटलाइजेशन', 'कम्प्यूटराइजेशन' और '54 नए नवाचारों' का ऐसा शोर मचा रहे हैं जैसे सहकारी आंदोलन अब सीधे मंगल ग्रह पर उतरने वाला है। वहीं दूसरी ओर, इस आंदोलन की आधारशिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां मानव संसाधन के भीषण अकाल से जूझ रही हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे किसी आलीशान शोरूम में चमचमाती गाड़ियां तो खड़ी कर दी जाएं, लेकिन उन्हें चलाने के लिए ड्राइवर ही नहीं हों। 10 जुलाई 2017 की वह तारीख राजस्थान के पैक्स-लैम्पस इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है, जब नई नियुक्तियों पर 'अस्थाई' रोक लगाई गई थी। उस समय तर्क दिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए 'राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड' का गठन किया जा रहा है। युवाओं को उम्मीद थी कि अब समयबद्ध भर्तियां होंगी, लेकिन 8 साल का लंबा वनवास बीत जाने के बाद भी यह बोर्ड एक अदद स्थाई भर्ती का विज्ञापन तक जारी नहीं कर पाया है।

।आज सहकारी भर्ती बोर्ड की स्थिति उस 'अपाहिज' मरीज जैसी है, जो अपनी हर नाकामी के लिए 'अभ्यर्थना' रूपी बैसाखी का इंतजार कर रहा है। विधानसभा के पटल पर सरकार ने स्वीकार किया है कि प्रदेश में व्यवस्थापकों के 4,017 पद खाली पड़े हैं। लेकिन बोर्ड का जवाब रटा-रटाया है "जब तक संबंधित समितियां और बैंक हमें लिख कर नहीं देंगे, हम क्या करें?" यह विडंबना ही है कि विभाग के पास रिक्तियों के आंकड़े तो डिजिटल स्क्रीन पर चमक रहे हैं, लेकिन भर्ती की फाइलें धूल फांक रही हैं, तो सहकारी भर्ती बोर्ड और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के बीच एक ऐसा 'ब्लैक होल' बन चुका है, जिसमें प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का भविष्य समा रहा है। नियमानुसार, समितियों को अपनी रिक्तियों की सूचना बोर्ड को भेजनी होती है। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल यह है कि कई रसूखदार लोग इन रिक्त पदों पर 'अस्थाई' या 'जुगाड़' से अपनों को बिठाकर काम चलाना चाहते हैं। जब तक 'अभ्यर्थना' का प्रसाद भर्ती बोर्ड के चरणों में नहीं चढ़ाया जाता, तब तक बोर्ड अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं है। युवा ओवरएज हो रहे हैं, उनकी डिग्रियां फ्रेम होकर दीवारों की शोभा बढ़ा रही हैं, लेकिन विभाग 'नियमों के जाल' बुनने में व्यस्त है।

जवाहर कला केन्द्र में आयोजित होगा 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026'

जयपुर,। जवाहर कला केन्द्र में 17 से 26 अप्रेल तक 'राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला-2026' का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में राजस्थान सहित केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे विभिन्न राज्यों की सहकारी संस्थाएं शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण मसालों की प्रदर्शनी और बिक्री करेंगी। मेले में कुल 150 स्टॉल्स लगाई जाएंगी, जहाँ जीआई टैग उत्पाद, ड्राई फ्रूट्स, ऑर्गेनिक सामान और क्षेत्रीय विशिष्ट मसाले उपलब्ध होंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए यहाँ निशुल्क मोबाइल चक्की, प्रतिदिन लक्की ड्रॉ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। यह मेला महिला समूहों और सहकारी समितियों के उत्पादों को एक बड़ा मंच प्रदान करने के साथ-साथ जयपुरवासियों को एक ही स्थान पर शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराने का प्रमुख केंद्र है।

नाबार्ड के पुनर्भरण और वित्तीय क्षमता के आधार पर तय हुए सीसीबीवार लक्ष्य

फसली ऋण वितरण के लक्ष्यों में बड़ा बदलाव : जयपुर सीसीबी का लक्ष्य बढ़कर 2031 करोड़ हुआ, जैसलमेर के कोटे में भारी कटौती

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर | राज्य सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2026-27 में प्रदेश के किसानों को केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। इस संबंध में राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूंडावत ने प्रदेश के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं | जिसके मुताबिक राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 25,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है, तथा नाबार्ड से प्राप्त होने वाली पुनर्भरण राशि, पिछले वर्ष के वितरण और बैंकों की वित्तीय क्षमता के आधार पर ऋण लक्ष्यों का बैंकवार और सीजनवार (खरीफ एवं रबी) निर्धारण किया गया है, वही यदि किसी बैंक के पास खरीफ या रबी सीजन के लक्ष्यों में कमी या अधिकता रहती है, तो वे अपने स्तर पर कुल लक्ष्यों के भीतर ही खरीफ और रबी फसल के लक्ष्यों को आपस में 'इंटरचेंज' कर सकेंगे | इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऋण वितरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित अनुपात का पालन हो, ताकि ब्याज अनुदान सहायता का पूर्ण उपयोग हो सके और सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को ऋण वितरण के इन लक्ष्यों को KPI के अनुरूप मासिक आधार पर पूरा करना होगा। इसकी नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि समय पर किसानों तक आर्थिक मदद पहुँच सके।

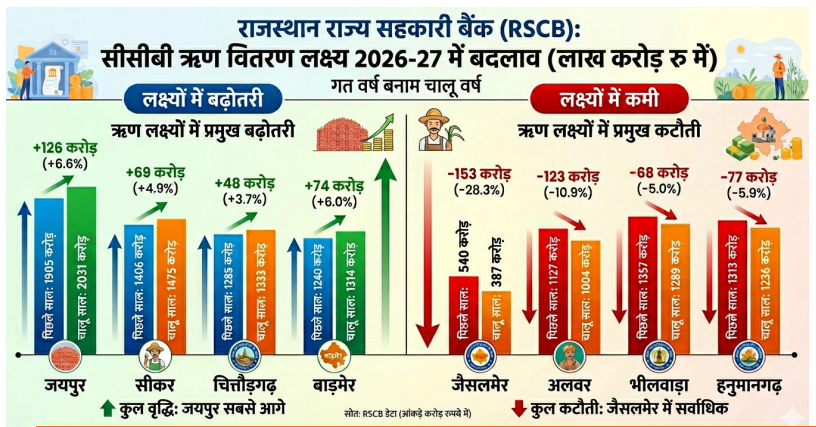

खरीफ 13,400 और रबी सीजन 11,600 करोड़ का लक्ष्य

शीर्ष बैंक ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 25,000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। इसमें से खरीफ सीजन 13,400 करोड़ रुपये और रबी सीजन 11,600 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सरकार कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खरीफ सीजन (मानसून की फसल) पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके लिए रबी की तुलना में लगभग 1,800 करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गए हैं।

जयपुर सहित 16 सीसीबी में बढ़ोतरी, जैसलमेर और अलवर समेत 13 में कटौती

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने इस नए वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश की सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों (सीसीबी) के ऋण वितरण लक्ष्यों में गत वर्ष की तुलना में बड़ा बदलाव किया है। इस बार अपेक्स बैंक ने कई जिलों की ऋण क्षमता पर भरोसा जताते हुए उनके लक्ष्यों में भारी बढ़ोतरी की गई है, वहीं कुछ जिलों के लक्ष्यों में कटौती भी देखने को मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऋण लक्ष्यों में वृद्धि वाली सीसीबी की सूची में जयपुर सीसीबी सबसे आगे है, जिसका लक्ष्य पिछले साल के 1905 करोड़ से बढ़ाकर 2031 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह सीकर का लक्ष्य 1406 करोड़ से बढ़कर 1475 करोड़, चित्तौड़गढ़ का 1285 करोड़ से 1333 करोड़ और बाड़मेर का लक्ष्य 1240 करोड़ से बढ़ाकर 1314 करोड़ रुपये किया गया है। अन्य सीसीबी जिनमें लक्ष्य बढ़ाया गया है, उनमें बांसवाड़ा (461 से 567 करोड़), बारां (549 से 553 करोड़), बूंदी (701 से 715 करोड़), चूरू (543 से 619 करोड़), दौसा (566 से 674 करोड़), डूंगरपुर (330 से 349 करोड़), अजमेर (672 से 729 करोड़), झालावाड़ (954 से 972 करोड़), झुंझुनूं (838 से 893 करोड़), कोटा (894 से 930 करोड़), सिरोही (281 से 292 करोड़) और उदयपुर (788 से 856 करोड़) शामिल हैं। दूसरी ओर, कई महत्वपूर्ण सीसीबी के ऋण लक्ष्यों में इस वर्ष कमी की गई है। सबसे बड़ी कटौती जैसलमेर सीसीबी में देखी गई है, जिसका लक्ष्य 540 करोड़ से घटाकर 387 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी तरह अलवर का लक्ष्य 1127 करोड़ से कम होकर 1004 करोड़, भीलवाड़ा का 1357 करोड़ से 1289 करोड़ और हनुमानगढ़ का लक्ष्य 1313 करोड़ से घटाकर 1236 करोड़ रुपये रह गया है। कटौती वाले अन्य जिलों में बीकानेर (899 से 891 करोड़), भरतपुर (532 से 496 करोड़), जालोर (805 से 742 करोड़), जोधपुर (870 से 809 करोड़), नागौर (679 से 571 करोड़), पाली (979 से 944 करोड़), सवाई माधोपुर (660 से 641 करोड़), श्रीगंगानगर (1156 से 1089 करोड़) और टोंक (670 से 599 करोड़) के नाम शामिल हैं। बैंक के इस कदम का सीधा असर स्थानीय किसानों और सहकारी समितियों को मिलने वाले ऋण की उपलब्धता पर पड़ेगा।

सहकारी अधिकरण का समय परिवर्तन

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए राज्य सहकारी अधिकरण, जयपुर के न्यायालय एवं कार्यालय समय में परिवर्तन किया गया है। नया समय 13 अप्रैल 2026 से 28 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री प्रह्लाद सहाय नागा ने बताया कि न्यायालय का समय प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक रहेगा। मध्यांतर का समय प्रातः 10:30 बजे से 11:00 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार कार्यालय का समय प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। यहां मध्यांतर का समय प्रातः 10:30 बजे से 10:45 बजे तक रहेगा। संयुक्त शासन सचिव ने बताया कि पीठासीन अधिकारी प्रातः 7:30 बजे से 8:00 बजे तक तथा दोपहर 12:30 बजे से 1:00 बजे तक अपने चैंबर में कार्य करेंगे।

सहकारिता विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

सहकारिता विभाग में लागू होगा रैंकिंग सिस्टम; रिकॉर्ड न देने वाली समितियों पर दर्ज होगी FIR - सहकारिता मंत्री

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । राजस्थान के सहकारिता विभाग में अब अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता को उनकी प्रगति के आधार पर मापा जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए रैंकिंग सिस्टम लागू किया जाए और अनियमितता बरतने वाली समितियों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया जाए। मंगलवार को शासन सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान गौतम कुमार दक ने सख्त लहजे में कहा कि जिन सहकारी समितियों में अनियमितताएं पाई गई हैं और वे जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए। विशेष रूप से जो समितियां रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा रही हैं, उनसे कानूनी तरीके से रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा। साथ ही, फर्जी ऋण वितरण करने वाले दोषी कार्मिकों पर भी तत्काल पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मंत्री ने जोर दिया कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पात्र किसानों को बिना किसी बाधा के मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गेहूं की खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे रही है। बम्पर खरीद की संभावना को देखते हुए तैयारियों को चाक-चौबंद रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, सहकारी भूमि विकास बैंकों के बकाया ऋणों की वसूली के लिए यह सुनहरा मौका है क्योंकि सरकार ब्याज और पेनल्टी माफ कर रही है। अधिकारी स्वयं फील्ड में जाकर ऋणियों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना के तहत बन रहे 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। इस उच्च स्तरीय बैठक में राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी सहित सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशक एवं फंक्शनल अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। जबकि, समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड), क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी (खण्ड), जिला उप रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, विशेष अंकेक्षक, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सचिव, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के सीईओ एवं जिला इकाइयों में कार्यरत निरीक्षक वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

डिजिटल सहकारिता और नवाचार

सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिया कि पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना के तहत जिन समितियों ने अभी तक 'गो-लाइव' प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द इसे पूरा करने को कहा गया है। असहयोग करने वाली समितियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही, प्रत्येक जिले में कम से कम 5 ऐसी सहकारी समितियां विकसित की जाएंगी जो नए प्रयोग और गतिविधियां शुरू कर अन्य समितियों के लिए मिसाल बनें। कस्टम हायरिंग सेंटर सेंटर्स के माध्यम से किसानों को होने वाले वास्तविक लाभ का डेटा तैयार किया जाएगा।

काम के आधार पर तय होगा प्रदर्शन

शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने बैठक में बताया कि अब सभी अधिकारियों और निरीक्षकों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। उनकी प्रगति के आधार पर एक रैंकिंग प्रणाली शुरू की जाएगी, जिससे बेहतर काम करने वालों की पहचान हो सके। इसके अलावा समस्त विभागीय कार्य अब ई-फाइल के माध्यम से होंगे। राज सहकार पोर्टल का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों का निपटारा एक निश्चित समय सीमा में करना अनिवार्य होगा।

अनियमितताओं के मामले में सरकार का रुख 'जीरो टॉलरेंस' का है। लक्ष्य अर्जित करने में कोताही बरतने वाले जिलों पर विशेष फोकस किया जाएगा।

— गौतम कुमार दक, सहकारिता मंत्री

नई सहकारी समितियों में नहीं होगी अलग नियुक्ति, अतिरिक्त कार्यभार से चलेगा काम

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली और नियुक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। सहकारिता विभाग ने राजस्थान विधानसभा के पांचवें सत्र के दौरान सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल द्वारा पूछे गए अतारांकित सवाल के जवाब में बताया कि प्रदेश में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन के समय आय का कोई निश्चित स्रोत न होने के कारण व्यवस्थापक की नियुक्ति के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाती है। वर्तमान नियमों के तहत, नई समिति में अलग से कर्मचारी तैनात करने के बजाय दूसरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक को ही अतिरिक्त कार्यभार सौंपकर कार्य संपादित कराया जाता है। वही बाड़मेर और बालोतरा जिलों में सहकारी समितियों के संचालन को लेकर पूछे गए सवाल पर विभाग ने स्वीकार किया कि इन दोनों जिलों की समितियों का नियंत्रण वर्तमान में बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक के अधीन ही है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह सामने आया है कि पिछले समय में व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक की चयन प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिस पर विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच शुरू कर दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

नियुक्ति का पूर्ण अधिकार संचालक मंडल के पास

व्यवस्थापकों की नियुक्ति में अधिकारियों के हस्तक्षेप की आशंकाओं को खारिज करते हुए विभाग ने बताया कि प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों के सेवा नियम-2022 के तहत नियुक्ति का अधिकार केवल संबंधित संस्था के संचालक मंडल के पास है। पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अब इन पदों पर सीधी भर्ती 'सहकारी भर्ती बोर्ड' के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें CCB प्रधान कार्यालय के अधिकारियों की कोई व्यक्तिगत भूमिका नहीं रहती है।

प्रशासनिक 'हठयोग' और मुई 'कैडर ऑथोरिटी' का भूत

राजस्थान के सहकारिता विभाग में इन दिनों 'पुनर्जन्म' की एक अद्भुत गाथा लिखी जा रही है। यह गाथा किसी महापुरुष की नहीं, बल्कि उस 'कैडर ऑथोरिटी' की है जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1991 में ही अवैध घोषित कर ससम्मान दफन कर दिया था। लेकिन विभाग के नीति-निर्धारकों का मोह ऐसा कि वे आज भी उसी मृत देह में प्राण फूंकने का अघोरी प्रयास कर रहे हैं विभागीय गलियारों में कॉमन कैडर का राग ऐसे अलापा जा रहा है मानो यह कोई नई संजीवनी हो, जबकि हकीकत में यह वही कानूनी विसंगति है, जो अधिकारियों के गले की फांस बनी हुई है। समझौतों की आड़ में 'कैडर ऑथोरिटी' को जीवित करने की कोशिशें वैसी ही हैं जैसे किसी फटे हुए ढोल को मढ़कर संगीत पैदा करने की कोशिश करना—शोर तो होगा पर सुर कभी नहीं निकलेंगे | सहकारी साख ढांचे की विडंबना देखिए गलती करे 'प्रशासन' और जुर्माना भरे 'बैंक'। पैक्स-लैम्पस कार्मिकों के कार्य बहिष्कार का सारा 'प्रसाद' जोधपुर और बाड़मेर सीसीबी को चढ़ाया जा रहा है - खरीफ ऋण वसूली ठप है, क्योंकि तिजोरियों की चाबियाँ तो कार्य बहिष्कार पर बैठी हैं | नाबार्ड को समय पर भुगतान करने की मजबूरी में बैंक बाजार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज उठा रहे हैं तथा आरबीआई लाइसेंस प्राप्त ये बैंक प्रशासनिक अक्षमता के कारण अपनी साख और लाभ दोनों की आहुति दे रहे हैं। इधर 27 फरवरी से जारी पैक्स-लैम्पस कार्मिक के कार्य बहिष्कार आंदोलनरत का एक नया ही रंग देखने को मिल रहा है। सहकारी भर्ती बोर्ड के गठन के बावजूद, 'नियम विरुद्ध' नियोजित कार्मिकों को 'स्क्रीनिंग' के जरिए नियमित करने की जुगत भिड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर तो स्वयंभू नेताओं द्वारा ज्ञान की ऐसी गंगा बहाई जा रही है कि "दिसंबर 2025 तक जो भी बैकडोर से घुस गया, सबका कैडर बनेगा!" अब यह 'जादुई कैडर' है या चुनावी रेवड़ी, यह तो वक्त बताएगा। पर इतना तय है कि नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर बनाया गया यह महल पहली ही कानूनी बारिश में ढहने को तैयार है, सवाल यह है कि क्या विभाग वाकई अपनी पिछली गलतियों से तौबा करेगा? या फिर से उसी 'कैडर ऑथोरिटी' के फटे हुए ढोल को पीटा जाएगा जिसे न्यायालय दशकों पहले अवैध घोषित कर चुका है?

बैंकों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते गोल्ड लोन

> गोल्ड लोन ने बीते वर्षों में बैंकों को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाया है. इससे लोन पोर्टफोलियो बढ़ने के साथ ही ब्याज आय में भारी वृद्धि हुई है. साथ ही, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिली है.

पिछले दो वर्षों में सोने की कीमत में हुई बढ़ोतरी और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों में बदलाव के कारण गोल्ड लोन में 100 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गयी है. अब ये नियम अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो गये हैं. स्वर्ण ऋण मूल्य (एलटीवी) की संरचना को स्तरीकृत किया गया है, सोने की मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी और कड़ी कर दी गयी है. गोल्ड मेटल लोन की अवधि 180 दिनों से बढ़ाकर 270 दिनों की कर दी गयी है. ये बदलाव गोल्ड लोन को अधिक आसान और सुरक्षित बनाते हैं, जिससे गोल्ड लोन वितरण में तेज वृद्धि दर्ज हो रही है. गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का विस्तार इतना बढ़ गया है कि यदि इसे अन्य ऋण पोर्टफोलियो से अलग कर दिया जाये, तो कई बैंकों की वास्तविक ऋण वृद्धि 100 से 400 आधार अंकों तक कम हो सकती है. गोल्ड लोन ने बीते वर्षों में बैंकों को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाया है. इससे लोन पोर्टफोलियो बढ़ने के साथ ही ब्याज आय में भारी वृद्धि हुई है. साथ ही, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद मिली है. इसके अतिरिक्त, गोल्ड लोन के बढ़ते पोर्टफोलियो से गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का प्रतिशत कुल ऋण में कम हुआ है. गोल्ड लोन एक सुरक्षित ऋण है, जो 18 से 24 कैरेट सोने के बदले दिया जाता है. इसमें सोने के आभूषणों को गिरवी रखा जाता है. जब तक ऋण की पूरी राशि नहीं चुकायी जाती, तब तक बैंक सोने के आभूषणों को मुक्त नहीं करता. आम तौर पर यह ऋण चुकौती एकमुश्त की जाती है. अप्रैल, 2026 से गोल्ड लोन को और सुरक्षित बनाने के लिए ऋण राशि के आधार पर नया लोन टू वैल्यू (एलटीवी) तय किया जायेगा. उदाहरण के लिए, 2.5 लाख रुपये तक एलटीवी 85 होगा, यानी मार्जिन 15 प्रतिशत. वहीं, 2.5 से पांच लाख रुपये तक एलटीवी 80 प्रतिशत रहेगा और पांच लाख से ऊपर यह 75 प्रतिशत होगा. ऋण राशि को एलटीवी से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि यदि सोने की कीमत गिरती है, तो एलटीवी इसे कवर कर सके और बैंक को नुकसान न हो. हाल के वर्षों में करूर वैश्य बैंक, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक और साउथ इंडियन बैंक जैसे बैंकों में गोल्ड लोन का हिस्सा काफी बढ़ गया है. आज इन बैंकों के कुल कर्जे में से एक बड़ा हिस्सा केवल गोल्ड लोन से जुड़ा है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के लोकसभा में दिये बयान के अनुसार, मई, 2025 तक गोल्ड लोन की कुल राशि बढ़कर 2.51 लाख करोड़ रुपये हो गयी, जो मई, 2024 में 1.16 लाख करोड़ रुपये थी. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर, 2025 तक गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 15.6 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, क्योंकि इसकी कीमत में वृद्धि ने बैंकों को इस सुरक्षित क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया है. नवंबर, 2025 में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में 42 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी. इन्वेस्टमेंट इनफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (इक्रा) ने भी अनुमान लगाया है कि मार्च, 2026 तक संगठित गोल्ड लोन बाजार 15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. सोने की कीमत में वृद्धि और भारतीय रिजर्व बैंक की असुरक्षित ऋणों पर सख्ती के कारण गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़ रहा है. बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष गोल्ड लोन का वितरण 91 प्रतिशत तक बढ़ गया है. वर्ष 2026 की शुरुआत में सोने की कीमतें बढ़ीं, लेकिन कुछ सप्ताह बाद मुनाफावसूली और वैश्विक घटनाओं के कारण इसमें गिरावट आयी. वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि 2025 में मजबूत वृद्धि के बाद, 2026 में सोने का रिटर्न मध्यम हो सकता है. हालांकि, अनिश्चितता के कारण इसकी कीमत उच्च स्तर पर स्थिर रह सकती है. गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 के अंत तक सोने की कीमत लगभग 5,400 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती है, जिससे भारत में इसकी कीमत 1.7 लाख से 1.9 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच रह सकती है. अमेरिका-ईरान संघर्ष, फेडरल रिजर्व की नीति, भू-राजनीतिक तनाव और केंद्रीय बैंकों की सोने की निरंतर खरीदारी समग्र सोने की कीमतों को उच्च स्तर पर बनाये रख सकती है. गौरतलब है कि सोने की कीमत में गिरावट बैंक के लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि, इससे बैंकों के सोने की गारंटी वाले ऋण प्रभावित हो सकते हैं. बैंक मार्जिन मनी के आधार पर गोल्ड लोन देते हैं, और यदि सोने की कीमत मार्जिन मनी से नीचे गिर जाती है, तो बैंक को नुकसान उठाना पड़ेगा. इससे ऋण प्रक्रिया धीमी हो सकती है, एनपीए बढ़ेगा, और लाभ पर दबाव आयेगा. फिलहाल, कर्ज के मुकाबले सोने की कीमत या मार्जिन मनी अधिक होने के कारण बैंक का लोन सुरक्षित है. अंत में, गोल्ड लोन बैंकों के कारोबार में वृद्धि और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, पर इसकी स्थिरता काफी हद तक सोने की कीमत पर निर्भर है. यदि कीमत गिरती है, तो इससे एनपीए के स्तर, कर्ज की रफ्तार और बैंकों की आय सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है. बहरहाल, वर्तमान परिदृश्य में सोने की कीमतों में गिरावट आने लगी है. बैंकों को संभावित नुकसान से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है.

सतीश सिंह
यह लेखक के अपने विचार हैं।

सहकारी समितियों में जमा 'हिस्सा राशि' की वापसी का रास्ता साफ, पारदर्शिता के साथ मिलेगी अपनी पूंजी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान के किसानों के लिए सहकारिता क्षेत्र से एक सकारात्मक और राहत भरी खबर सामने आई है। विधानसभा में पीपल्दा विधायक चेतन पटेल द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में सहकारिता विभाग ने स्पष्ट किया है कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों द्वारा जमा की गई 'हिस्सा राशि' को वापस प्राप्त करने के स्पष्ट नियम मौजूद हैं। इससे न केवल किसानों का सहकारी तंत्र पर भरोसा बढ़ेगा, बल्कि उन्हें अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा का आश्वासन भी मिलेगा अक्सर किसानों के मन में यह संशय रहता था कि अल्पकालीन फसली ऋण लेते समय जो हिस्सा राशि (करीब 8%) काटी जाती है, वह उन्हें वापस मिलेगी या नहीं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह राशि किसानों के कल्याण और सहकारी बैंक की मजबूती के लिए जमा की जाती है। सकारात्मक पक्ष यह है कि यदि कोई किसान अपनी सदस्यता छोड़ता है या अन्य निर्धारित परिस्थितियों में इस राशि को वापस लेना चाहता है, तो उसके लिए राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के तहत स्पष्ट प्रावधान हैं।

किसानों के हित में सरकार के महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

अधिनियम में नियम और पारदर्शिता

उत्तर के अनुसार, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-16(1) के तहत यदि कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता है या सदस्यता समाप्त होती है, तो वह अपनी हिस्सा राशि (शेयर पूंजी) निर्धारित रीति से वापस प्राप्त करने का हकदार है।

कोटा क्षेत्र में करोड़ों की सुरक्षा

पीपल्दा विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 49 समितियों की 15 करोड़ 03 लाख 95 हजार रुपये से अधिक की राशि कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक में सुरक्षित जमा है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि किसानों की पूंजी बैंक स्तर पर पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित है।

लाभांश का लाभ

यदि बैंक का कोई सदस्य अपनी सदस्यता समाप्त करता है और ऋण का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो उसे न केवल उसकी मूल हिस्सा राशि लौटाई जाएगी, बल्कि उस पर घोषित लाभांश भी प्रदान किया जाएगा। समितियां स्वयं के स्तर पर भी कर सकेंगी भुगतान दस्तावेज के अनुसार, सहकारी संस्थाएं अपने पास उपलब्ध तरल संसाधनों के आधार पर स्वयं के स्तर पर भी सदस्य किसान की हिस्सा राशि लौटा सकती हैं। इससे किसानों को छोटी-मोटी जरूरतों के लिए लंबी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

राजस्थान में रिकॉर्ड 147 करोड़ रुपये की नकद वसूली, ऋणियों को मिली 191 करोड़ की बड़ी राहत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर | राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के मार्गदर्शन और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की सक्रियता से प्रदेश के दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे को नई संजीवनी मिली है। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत राज्य में रिकॉर्ड वसूली और राहत के आंकड़े दर्ज किए गए हैं | आरएसएलडीबी के प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के 36 पीएलडीबी द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया है, जिसमे राहत और नकद वसूली को मिलाकर कुल 338.18 करोड़ रुपये के ऋण मामलों का निपटारा किया गया एव 11,087 ऋणी सदस्यों से कुल 146.95 करोड़ रुपये की नकद वसूली की गई 10,534 ऋणी सदस्यों को कुल 191.23 करोड़ रुपये की ब्याज राहत प्रदान की गई है मुख्यमंत्री एकमुश्त समझौता योजना के तहत प्रतिशत वसूली के मामले में बिलाड़ा पीएलडीबी 91.46 प्रतिशत के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहीं। इसके बाद

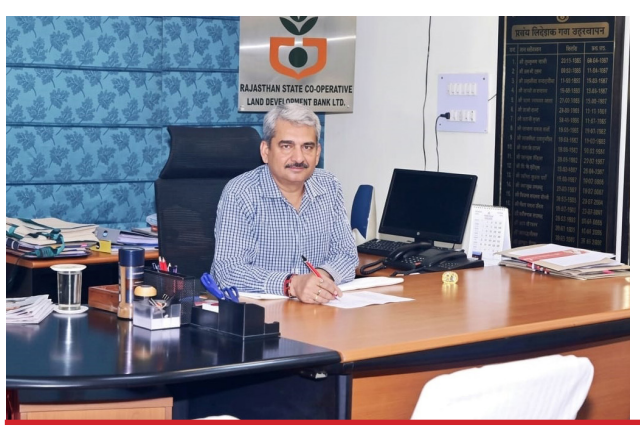

जालोर पीएलडीबी में मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत वसूली कार्य

क्रमशः चित्तौड़गढ़ 86.17 प्रतिशत, बीकानेर 82.73 प्रतिशत, बालोतरा 76.51 प्रतिशत और जोधपुर 74.32 प्रतिशत शीर्ष पांच पीएलडीबी में शामिल रहे। वही नकद राशि जमा करने के मामले में सीकर 1339 लाख रुपये के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद जालौर 1226 लाख और राजसमंद 1048 लाख का स्थान रहा। वहीं, ऋणियों को ब्याज छूट के माध्यम से राहत पहुँचाने में जालौर ने 2061 लाख, सीकर ने 1763 लाख, अलवर ने 1264 लाख और झालावाड़ ने 1149 लाख रुपये की राहत प्रदान की है। इस अभूतपूर्व सफलता पर प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस रिकॉर्ड वसूली से दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना मजबूत होगी, जिससे आगामी वर्षों में राज्य के किसानों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान में बड़ी मदद मिलेगी। सूरजभान सिंह आमेरा ने प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद शर्मा के नेतृत्व और मैदानी अमले के बीच के तालमेल को 'टीम सहकारी मॉडल' करार दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह से बिलाड़ा, चित्तौड़गढ़ और सीकर जैसे जिलों ने नकद वसूली और राहत में झंडे गाड़े हैं, राज्य में सहकारी भूमि विकास बैंकों का अस्तित्व मजबूत होगा वह भविष्य में राजस्थान के सहकारी साख ढांचे को पूरे देश में अग्रणी बनाएगा।

147 करोड़ की नकद वसूली और 191 करोड़ की राहत सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

— जितेंद्र प्रसाद, प्रबंध निदेशक, RSLDB

प्रदेश के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और सहकारिता विभाग की निरंतर निगरानी का ही परिणाम है कि आज किसान वर्ग में सहकारिता के प्रति विश्वास और रुझान बढ़ा है। "यह केवल आंकड़ों की वसूली नहीं है, बल्कि किसान और सहकारी बैंक के बीच टूटे हुए भरोसे की बहाली है,सहकारी कर्मियों में नई कार्य संस्कृति की शुरुआत है ।191 करोड़ रुपये की ब्याज राहत किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, जो उनके भविष्य को संवारेगी।

— सूरज भान सिंह आमेरा

पीएलडीबी में कार्मिक अभाव की जिम्मेदारी भी एसएलडीबी के साथियों ने जिस मुस्तैदी से निभाई वह अनुकरणीय है ।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

जालोर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार की वार्षिक आमसभा संपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले में स्थित जालोर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार अपने व्यवसाय में वृद्धि कर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नए मेडिकल काउंटर और सुपर स्टोर खोल सकता हैं । यह प्रस्ताव आज जालोर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार की वार्षिक आमसभा में पारित किया गया । दरअसल, जालोर भंडार की वार्षिक आमसभा सामतीपुरा रोड स्थित प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई । इस आमसभा में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर सुनील वीरभान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।साथ ही, बैठक में संस्था के भविष्य के विस्तार और व्यवसाय वृद्धि को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अलावा, संस्था के टर्नओवर और सेवाओं के दायरे को बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नए मेडिकल काउंटर और सुपर स्टोर खोलने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही, क्षेत्रीय मांग को देखते हुए मौसमी व्यापार शुरू करने पर भी सहमति बनी। आमसभा में विभागीय निरीक्षकों और व्यक्तिगत सदस्यों ने भी भाग लिया। इस दौरान उपाध्यक्ष विजय व्यास सहित संचालक मंडल के सदस्य भंवरसिंह, कालू सिंह, बाबू सिंह और संतोष व्यास उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में संस्था के महाप्रबंधक सुरेश कुमार सारस्वत ने सभी उपस्थित अतिथियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

सहकारी समितियों के ऑडिट हेतु पैनल के लिए आवेदन शुरू

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के वैधानिक ऑडिट के लिए वर्ष 2024-27 की शेष अवधि हेतु नए लेखा परीक्षकों और ऑडिट फर्मों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ द्वारा इस संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 (रात्रि 11:59 बजे तक) विज्ञप्ति के अनुसार, वे सभी चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) या चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्में जो चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित हैं, आवेदन की पात्र हैं। आवेदन के लिए अर्हता (योग्यता) प्राप्त करने के बाद कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। यह पैनल 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा तथा आवेदन का प्रारूप, पंजीकरण शुल्क, और आवश्यक नियमों व शर्तों का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पदाधिकारियों और कर्मचारियों को महापड़ाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए

लिखित आदेश मिलने तक पैक्स कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी, मांगों पर अड़े कर्मचारी; जयपुर में महापड़ाव की चेतावनी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान सहकारी समिति कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, जयपुर के तत्वावधान में कल प्रदेश पदाधिकारियों और सभी जिलाध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेशभर के पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों ने अपनी चार सूत्री मांगों के निराकरण न होने तक वर्तमान में चल रहे कार्य बहिष्कार को यथावत रखने का संकल्प लिया संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार और कमेटी के साथ हुई वार्ता में दो मांगों पर मौखिक सहमति तो बनी, लेकिन समिति ने स्पष्ट किया कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होते, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा बैंकिंग सहायक भर्ती और व्यवस्थापकों में से 100% ऋण पर्यवेक्षक चयन की मांगों पर चर्चा अधूरी रहने के कारण पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। यदि मांगों का ठोस निस्तारण नहीं होता है, तो प्रदेश के पैक्स-लैम्पस कर्मचारी जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। इसके लिए प्रदेश स्तर पर एक विशेष कमेटी का गठन कर दिया गया है। संघर्ष समिति ने सभी जिलों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को महापड़ाव की तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। हड़ताल के बावजूद, संघर्ष समिति के प्रतिनिधि सहकारिता मंत्री से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कर्मचारियों का प्रयास है कि संवाद के जरिए जल्द से जल्द कोई ठोस रास्ता निकले।

धरातल पर मजबूती दिखाने की अपील

संघर्ष समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने पिछली कमियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि फरवरी और मार्च में बहिष्कार के बावजूद बड़ी संख्या में DMR दर्ज हुई, जिससे सरकार के सामने कर्मचारियों की एकजुटता में कमी दिखी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस बार अप्रैल में बहिष्कार को 'पिटवाने' का काम न करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जिलाध्यक्ष अपने क्षेत्र में बहिष्कार को धरातल पर मजबूत नहीं रख सकते, उन्हें मंचों पर भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है ।

'नो वर्क नो पे' के जवाब में 'नो पे, नो सर्वाइवल'

राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सहकारिता विभाग द्वारा जारी नो वर्क नो पे नोटिस के जवाब में प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों को एकजुट रहने का आह्वान किया है । संघर्ष समिति का तर्क है कि राज्य के 13 केंद्रीय सहकारी बैंकों की 1117 समितियों में लगभग 1483 कार्मिकों को लंबे समय से वेतन नहीं मिला है, और कई क्षेत्रों में तो यह भुगतान पिछले दो वर्षों से लंबित है । इसके अतिरिक्त, प्रदेश की 8000 समितियों में व्यवस्थापकों के 4017 पद रिक्त होने के कारण वर्तमान कार्मिकों पर कार्य का अतिरिक्त भार है । संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि जब नियोक्ता समय पर वेतन देने में विफल रहता है, तो 'नो वर्क नो पे' का सिद्धांत लागू करना प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है । समिति के अनुसार, कार्य बहिष्कार का मुख्य कारण कार्य के प्रति अनिच्छा नहीं, बल्कि 'वेतन के अभाव में जीवन निर्वाह का संकट' है । कार्मिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी समिति के संचालक मंडल के माध्यम से इस नोटिस का औपचारिक जवाब दें और विभाग के समक्ष 'नो पे, नो सर्वाइवल' की स्थिति को मजबूती से रखें । समिति ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग आईडी बंद करने जैसी दमनकारी कार्यवाही करता है, तो अंतिम विकल्प के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर विधिक सहायता ली जाएगी ।

आदेश लागू न होने पर अवमानना याचिका की चेतावनी

एक तरफ आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई भी तेज है। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव ने बताया कि भीलवाड़ा के दो व्यवस्थापकों द्वारा दायर याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने 17 अक्टूबर 2024 को निर्णय पारित किया था कि बैंकिंग सहायक पद पर व्यवस्थापकों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। हालांकि आदेश के महीनों बीत जाने के बाद भी विभाग ने अब तक विज्ञप्ति जारी नहीं की है। अब नंदलाल वैष्णव का कहना है कि यदि विभाग ने जल्द ही चयन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की तो मजबूर होकर विभाग के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेंट (न्यायालय की अवमानना) की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

कानूनी और आर्थिक पेच में फंसी मांगें

राजस्थान में पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर किया जा रहा कार्य बहिष्कार अब जटिल कानूनी मोड़ पर खड़ा है। विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर कानूनी अड़चनें और वित्तीय संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जिससे गतिरोध जल्द समाप्त होने के आसार कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की प्रमुख मांग 'कैडर अथॉरिटी' का गठन है। हालांकि, विशेषज्ञों ने याद दिलाया कि 1991 में राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसे पहले ही अवैध घोषित कर भंग कर दिया था। ऐसे में पुरानी व्यवस्था को दोबारा लागू करना वैधानिक रूप से लगभग असंभव है। और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को लेकर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 29 (ख) के तहत मामला कोर्ट में विचाराधीन है तथा वर्तमान में इस पूरी प्रक्रिया पर न्यायालय का 'स्टे' प्रभावी है, जिससे कोई भी नया कदम उठाना सरकार के लिए कानूनन मुमकिन नहीं है एवं ऋण पर्यवेक्षक और बैंकिंग सहायकों की नई भर्ती में संचित हानि सबसे बड़ी बाधा है। जानकारों का स्पष्ट कहना है कि जब तक केंद्रीय सहकारी बैंक अपनी वित्तीय स्थिति नहीं सुधार लेते, तब तक नई नियुक्तियों का आर्थिक बोझ उठाना उनके बस के बाहर है।

सहकारी समितियों में चेक पर हस्ताक्षर का अधिकार केवल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजस्थान के सहकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि 'क्रय-विक्रय सहकारी समितियों' में होने वाले खर्चों के लिए चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास ही रहेगा। विभाग ने स्पष्ट तौर पर संचालक मंडल के अध्यक्ष को यह वित्तीय अधिकार देने से इनकार कर दिया है विभाग ने स्पष्ट किया है कि सहकारी समितियों के पंजीकृत उपनियमों के अनुसार, अध्यक्ष का मुख्य कार्य साधारण सभा और संचालक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना है। नीति निर्धारण का काम संचालक मंडल का होता है, लेकिन दैनिक प्रशासनिक कार्यों में उनकी भूमिका सीमित है आदेश में कहा गया है कि अध्यक्ष के लिए प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित रहना न तो व्यावहारिक है और न ही नियमानुसार आवश्यक है। ऐसे में वित्तीय लेनदेन और चेक पर हस्ताक्षर की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा सकती क्योकि संस्था के दैनिक क्रियाकलापों, नियंत्रण और संचालन की मुख्य जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की होती है। वह नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्यों का संचालन करता है, इसलिए वित्तीय उत्तरदायित्व भी उसी का है

पुराना नियम रहेगा लागू

विभाग ने 30 अक्टूबर 2009 के अपने पुराने परिपत्र को यथावत रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत, समिति द्वारा जारी किए जाने वाले चेक पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्था के एक अन्य कर्मचारी (जो लेखा या संस्थापन शाखा से हो सकता है) के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे इस सम्बन्ध मे सहकारिता विभाग के बीकानेर खंडीय कार्यालय द्वारा अध्यक्ष को चेक साइन करने हेतु अधिकृत करने के संबंध में जो मार्गदर्शन मांगा गया था, उसे विभाग ने उपनियमों के विरुद्ध बताते हुए खारिज कर दिया है। अब सभी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को 2009 के परिपत्र के अनुसार ही कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

बूंदी में आयोजित प्रांतीय अधिवेशन में उठी 17वें वेतन समझौते और ब्याज अनुदान की मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अखिल राजस्थान सहकारी बैंक अधिकारी एसोसिएशन एवं राजस्थान सहकारी बैंक कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन रविवार को बूंदी के रामगंजबालाजी परिसर में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति और कर्मचारी हितों को लेकर हुंकार भरी । राजस्थान प्रदेश बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अनिल माथुर ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए संगठन की शक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संस्था के हितों की रक्षा के लिए एक मजबूत संगठन अनिवार्य है। उन्होंने सदस्यों को सक्रिय होकर जिला यूनिट्स को मजबूत करने और वृहद स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश दिया, ताकि वर्ष 2026 में ही 17वां वेतन समझौता सफलतापूर्वक संपादित कराया जा सके । वही संघ के

प्रदेश उपाध्यक्ष रजत सिसोदिया ने सरकार का ध्यान वर्ष 2018 और 2019 की ऋण माफी योजनाओं की ओर आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बकाया ब्याज अनुदान की राशि जारी न करने से सहकारी बैंक वित्तीय हानि झेल रहे है । संगठन के पदाधिकारियों ने इस विषय पर शीघ्र ही राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करने का आश्वासन दिया। साथ ही, अतिरिक्त महासचिव शिवराज मालव ने 'सहकार से समृद्धि' अभियान के तहत बैंकों के सुदृढ़ीकरण हेतु विशेष प्रावधानों की मांग की । इस दौरान अशोक माहेश्वरी (संरक्षक), रामचरण वर्मा, रतिराम समदिया, राजेंद्र सिंह, शशिशेखर, रोहित दुबे, अनुराग शर्मा सहित बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और टोंक जिला इकाइयों के सैकड़ों पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे।

आंदोलन की चेतावनी

संघ के प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर प्रसाद शर्मा ने कड़े शब्दों में सरकार को चेताया कि यदि ब्याज अनुदान की राशि जल्द जारी नहीं की गई और कर्मचारी हितों पर निर्णय नहीं लिया गया, तो भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। इसके अलावा, अधिवेशन में बारां इकाई के रामरूप मीणा को 17वें वेतन समझौते का ड्राफ्ट तैयार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बैंक संचालक मंडल में कर्मचारी प्रतिनिधियों के निर्वाचन की आवश्यकता पर भी जोर दिया ।

असंगत शर्तें हटाने की मांग

अधिवेशन में सबसे प्रमुख मुद्दा कर्मचारियों का वेतन समझौता रहा। महासचिव कल्याण सिंह चौहान सहित कोटा, झालावाड़ और अन्य इकाइयों के पदाधिकारियों ने मांग की कि 17वां वेतन समझौता बिना किसी विलंब के लागू हो और समझौता ड्राफ्ट से असंगत शर्तों को तुरंत हटाया जाए। वेतन वृद्धि के लिए "लगातार 3 वर्षों तक लाभ में रहने" की अनिवार्य बाध्यता को समाप्त किया जाए ।

जालोर में फसली ऋण का लक्ष्य 63 करोड़ रुपये घटा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले में सहकारी आंदोलन के त्रिस्तरीय ढांचे में गहराती प्रशासनिक विफलता अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है । हैरानी की बात यह है कि जहाँ समय के साथ ऋण की मांग बढ़ती है, वहीं जालोर जिले के लिए फसली सहकारी ऋण वितरण का लक्ष्य घटा दिया गया है, वर्तमान वर्ष 2026-27 का लक्ष्य 742 करोड़ यानि वित्तीय वर्ष में 63 करोड़ की यह कटौती दर्शाती है कि बैंक नए किसानों को जोड़ना तो दूर, पुराने ऋणधारकों की जरूरतें पूरी करने में भी सक्षम नहीं है । मौजूदा स्थिति के अनुसार, ब्याज माफी की बकाया राशि का प्रावधान समय पर न होने के कारण जालोर सीसीबी 31 मार्च 2025 के बाद से संचित हानि में चल रही है। बैंक की इसी माली हालत का खामियाजा अब जिले के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। लक्ष्य घटाना इसी वित्तीय विफलता का परिणाम है, दूसरी तरफ सरकार ने सदस्यता अभियान में सदस्य तो बना दिए, लेकिन तकनीकी और वित्तीय बाधाओं के कारण जब तक इन नए सदस्यों को सहकारी साख के तहत ऋण उपलब्ध नहीं होता, वे सहकारी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। गौरतलब हैं कि जिले में करीब 200 पैक्स के माध्यम से 1 लाख 35 हजार किसान ऋणी सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं। नियमों के मुताबिक एक किसान की स्वीकृत साख सीमा लगभग 1.50 लाख तक होनी चाहिए। लेकिन एफआईजी पोर्टल प्रणाली लागू होने के बाद पिछले 7 वर्षों से किसानों को उनकी साख सीमा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) बुधवार, 15 अप्रैल 2026
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
MSME Reg. - UDYAM-RJ-19-0033346

2000 नए स्वयं सहायता समूहों के गठन और ₹60.80 करोड़ के ऋण का लक्ष्य

शीर्ष सहकारी बैक ने जारी किए SHG लक्ष्य : इस साल 2000 नए समूह और 3300 क्रेडिट लिंकेज का प्लान

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वयं सहायता समूह के लक्ष्यों की घोषणा कर दी है बैंक के प्रबन्ध निदेशक रणजीत सिंह चुंडावत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस वर्ष पूरे राज्य में 2000 नए स्वयं सहायता समूहों के गठन, 3300 समूहों के साख कड़ीबंधन और कुल 6080 लाख रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है । बैंक ने सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निर्देशित किया है कि वे इन लक्ष्यों को गंभीरता से लें, क्योंकि पिछले वर्ष (2025-26) में इन लक्ष्यों की प्राप्ति काफी कम रही थी । समूहों को ऋण देते समय केवाईसी मानदंडों का कड़ाई से पालन करने और उनकी ग्रेडिंग सही तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कर्ज के एनपीए होने का खतरा न रहे । इस योजना के तहत अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जोड़ने के लिए पैक्स के माध्यम से काम किया जाएगा, क्योंकि वहां स्थानीय पहुंच अधिक होती है । साथ ही, बैंक उन समूहों को 'रिपीट फाइनेंस' भी उपलब्ध कराएगा जो गुणवत्ता के आधार पर दोबारा ऋण के पात्र हैं । लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए बैंक प्रतिनिधियों को राजीविका नोडल अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और एनजीओ के साथ समन्वय करने को कहा गया है । इन कार्यों की नियमित मासिक समीक्षा की जाएगी ताकि राज्य में गरीबी उन्मूलन के साथ बैंक की लाभप्रदत्ता भी सुनिश्चित हो सके ।

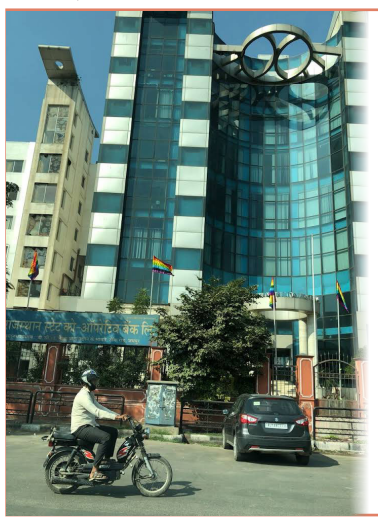

सीसीबीवार लक्ष्य हुए निर्धारित

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की ओर से इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत, अजमेर सीसीबी को 80 लाख, अलवर सीसीबी को 6 करोड़ 40 लाख, बांसवाड़ा सीसीबी को 1 करोड़ 60 लाख, बारां सीसीबी को 64 लाख, बाड़मेर सीसीबी को 1 करोड़ 60 लाख, भरतपुर सीसीबी को 16 लाख, भीलवाड़ा सीसीबी को 16 लाख, बीकानेर सीसीबी को 1 करोड़ 60 लाख, बूंदी सीसीबी को 1 करोड़ 60 लाख, चित्तौड़गढ़ सीसीबी को 1 करोड़ 60 लाख, चूरू सीसीबी को 1 करोड़ 60 लाख, दौसा सीसीबी को 4 करोड़, डूंगरपुर सीसीबी को 68 लाख, हनुमानगढ़ सीसीबी को 3 करोड़ 20 लाख, जयपुर सीसीबी को 3 करोड़ 20 लाख, जैसलमेर सीसीबी को 64 लाख, जालौर सीसीबी को 80 लाख, झालावाड़ सीसीबी को 3 करोड़, झुंझुनूं सीसीबी को 6 करोड़, जोधपुर सीसीबी को 80 लाख, कोटा सीसीबी को 2 करोड़ 40 लाख, नागौर सीसीबी को 80 लाख, पाली सीसीबी को 16 लाख, सवाई माधोपुर सीसीबी को 1 करोड़ 60 लाख, सीकर सीसीबी को 6 करोड़, सिरोही सीसीबी को 30 लाख, श्रीगंगानगर सीसीबी को 4 करोड़, टोंक सीसीबी को 16 लाख तथा उदयपुर सीसीबी को 5 करोड़ 30 लाख रुपये का वित्तीय लक्ष्य दिया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश भर में कुल 2000 नए स्वयं सहायता समूहों के गठन और 3300 समूहों के क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कुल 6080 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

जालौर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के सांचौर शाखा प्रबंधक निलंबित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालौर। सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक प्रशासन ने सांचौर शाखा के प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।बैंक प्रबंध निदेशक नारायण सिंह द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, सांचौर शाखा प्रबंधक सुशील कौशिक को प्रशासनिक कारणों के चलते तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है निलंबन की अवधि के दौरान सुशील कौशिक का मुख्यालय शाखा चितलवाना तय किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें निर्वाह भत्ता देय होगा बैंक प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा।यह आदेश 9 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। अचानक हुई इस कार्रवाई से बैंक कर्मचारियों और स्थानीय सीसीबी बैंकिंग हलकों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। फिलहाल निलंबन के स्पष्ट "प्रशासनिक कारणों" का खुलासा होना बाकी है।

किसान ऋण पोर्टल पर ब्याज सब्सिडी के दावे जल्द निपटाएं

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर : राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने प्रदेश के सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूंडावत द्वारा जारी इस पत्र में 'किसान ऋण पोर्टल' पर ब्याज अनुदान के दावों को लेकर सभी सीसीबी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने दावों की सही गणना करें, उन्हें ऑडिटर (अंकेक्षक) से प्रमाणित करवाएं और सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर अपलोड करें वही पत्र मे स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर दावों के लिए विंडो किसी भी समय बंद हो सकती है। यदि विंडो बंद होने तक दावे पेश नहीं किए गए, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी।

गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए अब पशु बीमा अनिवार्य; नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर निर्देश जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । सहकारिता विभाग द्वारा हाल ही में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । सहकारिता मंत्री एव शासन सचिव सहकारिता विभाग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वर्ष 2025-26 में अब तक 59,133 पशुपालकों को लगभग 479.89 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरित किया जा चुका हैं, अब विभागीय स्तर पर निर्देश दिए हैं कि ऋण की राशि एक वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले वसूल की जाए । साथ ही, पुराने ऋणों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और पूरी वसूली के बाद ही नया ऋण विचारणीय होगा । इसके अलावा, एक बार ऋण वसूली होने के बाद, परिवार के अन्य सदस्यों (पति-पत्नी, भाई-बहन) को नया ऋण नहीं दिया जाएगा योजना में शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है तथा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो सहकारी समितियां घाटे में चल रही हैं, उनके माध्यम से ऋण का वितरण नहीं किया जाएगा और वर्ष 2026-27 के लिए नए ऋण केवल उन्हीं पशुपालकों को दिए जाएंगे जिनके पशु 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' के तहत बीमित हैं। वही समीक्षा बैठक में विभागीय उच्च स्तर ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि यदि ऋण स्वीकृति के बदले किसी भी अधिकारी या बैंक कर्मचारी द्वारा रिश्वत या अवैध राशि की मांग की जाती है, तो राज्य स्तर पर संबंधित सीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मारवाड़ का मित्र
जुड़े और पढ़ें हर पल की खबर
मारवाड़ का मित्र
facebook.com/marwarkamitra
फेसबुक पेज
visit,Like and share

भुट्टि वीवर्ज को-ऑपरेटिव सोसाइटी: 82 वर्षों का गौरवशाली सफर

ठाकुर वेदराम मेमोरियल अवार्ड्स : कुल्लू में होगा अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

हिमाचल प्रदेश । सहकारिता और हथकरघा क्षेत्र के पुरोधा स्वर्गीय ठाकुर वेदराम की जयंती के अवसर पर आगामी 21 अप्रैल को कुल्लू के भुट्टि वीवर्ज को-ऑपरेटिव सोसाइटी कुल्लू (भुट्टिको) सभागार में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश-विदेश की प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ठाकुर वेदराम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। भुट्टिको के अध्यक्ष एवं पूर्व बागवानी मंत्री ठाकुर सत्य प्रकाश ने चयन समिति के निर्णय की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष सहकारिता के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार श्रीलंका के श्री डब्ल्यू.यू. हरॉथ को प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता पुरस्कार के लिए राजस्थान के नागौर से श्री सुभाष चन्द आर्य और कांगड़ा के श्री करनैल राणा का चयन किया गया है। बुनकर क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए कुल्लू के श्री विश्व नाथ सुम्मा, श्री जुगत राम और श्री राजू को सम्मानित किया जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में श्री गणेश गनी भारद्वाज को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि मीडिया जगत से 'दैनिक सवेरा' के डिजिटल एडिटर श्री संजीव शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 'अमर उजाला' के स्थानीय संपादक श्री रविन्द्र वशिष्ठ को प्रिंट मीडिया श्रेणी में सम्मान मिलेगा। इसके अतिरिक्त, लोक साहित्य के लिए डॉ. हेमेन्द्र वाली, पहाड़ी कला व संस्कृति के लिए सविता सहगल और पहाड़ी भाषा साहित्य के लिए श्री यतिन पंडित को सम्मानित किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए हमीरपुर के राजेन्द्र राजन और जालंधर की डॉ. कमला सैनी रत्तू के नामों की घोषणा की गई है। यह प्रतिष्ठित सम्मान समारोह 21 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे आयोजित होगा, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में मील का पत्थर स्थापित करने वाली इन विभूतियों को उनके समर्पण के लिए सराहा जाएगा। गौरतलब हैं कि गत साल राजस्थान के सीकर जिले की पलसाना ग्राम सेवा सहकारी समिति के सेवानिवृत्त व्यवस्थापक महादेवसिंह ऐचरा को "सहकारिता क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों" के लिए भुट्टि वीवर्ज को-ऑपरेटिव सोसाइटी कुल्लू की ओर से ठाकुर वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया ।

साहित्य, पत्रकारिता और सहकारिता का संगम

भुट्टि वीवर्ज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लगभग पिछले बयासी वर्षों से शालोद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। शालों की गुणवता और श्रेष्ठता के फलस्वरूप इस संस्था ने विश्व भर में अपना नाम रोशन किया है। गौरतलब हैं कि भुट्टि वीवर्ज को-ऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना स्व. ठाकुर वेदराम के अनथक प्रयासों और परिश्रमों का प्रतिफल है, इनके द्वारा 1944 में मात्र 23.00 रू0 की पूंजी से गठित और पंजीकृत तथा 1956 तक मृतप्राय हुई संस्था ने पुर्नजन्म पाया तथा आज अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की हैं। इस संस्था के संस्थापक स्व. ठाकुर वेदराम के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष एक भव्य समारोह का आयोजन कर शालोद्योग, सहकारिता, संस्कृति, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जाता हैं ।

बयाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति का करोड़ों का भुगतान बकाया

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर | राजस्थान विधानसभा में बयाना (भरतपुर) से विधायक श्रीमती ऋतु बनावत द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने बयाना क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के बकाया भुगतानों की स्थिति स्पष्ट की है। आंकड़ों के अनुसार, समिति का राजफैड पर वर्तमान में लाखों रुपये का बकाया है । साथ ही विभाग द्वारा सदन की मेज पर रखे गए विवरण के अनुसार, बयाना समिति द्वारा वर्ष 2018 से 2020 और वर्ष 2023 से 2025 तक समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्य किया गया था, जिसमे हैंडलिंग और परिवहन वर्ष 2020 तक के समस्त भुगतान (नैफेड की कटौतियों को छोड़कर) किए जा चुके हैं। तथा वर्ष 2023 से 2025 की अवधि के लिए अब तक 16,99,064 रुपये का भुगतान किया गया है एव समिति को कमीशन के मद में 35 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि का समायोजन समिति की तरफ खाद की बकाया राशि में कर दिया गया है इसके अलावा वर्तमान में समिति का राजफैड की ओर कुल 26,47,996 रुपये बकाया है और बकाया राशि के भुगतान की समय सीमा पूछे जाने पर सरकार ने उत्तर दिया कि हैंडलिंग एवं परिवहन कार्य का शेष भुगतान नैफेड से राशि प्राप्त होते ही समिति को कर दिया जाएगा।

राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की सुस्ती के कारण सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित बोर्ड का अभाव...!

चुनावी चक्रव्यूह : पैक्स में चुनाव, पर शीर्ष संस्थाओं में सन्नाटा क्यों?

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान के सहकारिता विभाग द्वारा हाल ही में जारी 'प्रगति प्रतिवेदन' विभाग की उपलब्धियों का बखान तो करता है, लेकिन चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण एक अलग ही तस्वीर पेश करता है। रिपोर्ट को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग अपनी कागजी सफलताओं पर स्वयं ही मुग्ध है, जबकि धरातल पर सहकारिता का ढांचा 'लोकतंत्र' के बजाय 'अधिकारी तंत्र' और 'प्रशासनिक मनमर्जी' की भेंट चढ़ चुका है। प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में चुनावों की स्थिति वैसी ही है, जैसे रेगिस्तान में बारिश की उम्मीदकृचर्चा तो बहुत है, परंतु परिणाम दुर्लभ हैं। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण संभवतः प्रदेश का सबसे 'निष्क्रिय' प्राधिकरण बन चुका है। शीर्ष सहकारी संस्थाओं के गठन से लेकर अब तक, कई महत्वपूर्ण पदों ने लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया तक नहीं देखी है। अक्सर देखा जाता है कि निर्वाचन प्राधिकरण ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के चुनाव करवाकर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर लेता है। इन्हीं समितियों के पदाधिकारी आगे चलकर जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। विडंबना यह है कि जब सीसीबी से लेकर शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं के चुनाव की बारी आती है, तब तक कार्यकाल की समाप्ति का समय आ जाता है और प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली जाती है। प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों में लोकतांत्रिक प्रणाली को किसी पुराने संदूक में बंद कर चाबी सहकारिता विभाग में जमा करा दी गई है। नियम कहते हैं कि, इन संस्थाओं में एक 'निर्वाचित संचालक मंडल' और 'चेयरमैन' का होना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था पूरी तरह प्रशासनिक अधिकारियों के कंधों पर 'प्रशासक' पदभार के तौर पर टिकी है। जिला कलेक्टर, जिनके पास जिले की कानून-व्यवस्था और विकास से जुड़े अनगिनत महत्वपूर्ण दायित्व पहले से ही हैं, उन्हें अब इन सहकारी बैंकों के संचालन की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालनी पड़ रही है। एक प्रशासनिक अधिकारी, जिसकी प्राथमिकता जनसुनवाई और जिले के व्यापक प्रशासनिक कार्य होते हैं, उनके लिए बैंक की ऋण योजनाओं और दैनिक बैंकिंग फाइलों के सूक्ष्म प्रबंधन के लिए समय निकालना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों के अभाव में जिले के सबसे व्यस्तम प्रशासनिक अधिकारी के जरिए इन सीसीबी बैकों को चलाना सहकारिता के मूल लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है?

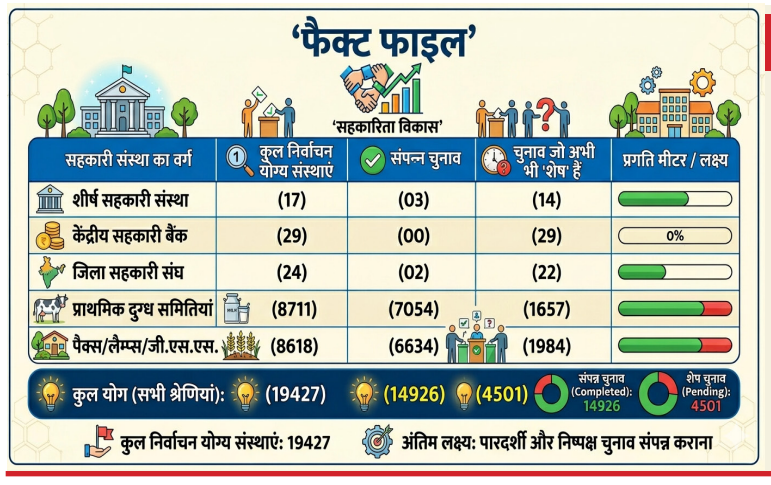

चुनावी प्रक्रिया का दंश: कार्यकाल खत्म होने को है, पर चुनाव का नामोनिशान नहीं...

जब जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में निर्वाचित बोर्ड अस्तित्व में नहीं होता, तब 'सैंया भए कोतवाल, अब डर काहे का' वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अपात्र व्यक्तियों को बिना किसी ठोस अनुशंसा के प्रबंध निदेशक (MD) के पदों पर बिठाया जा रहा है। कहीं स्थानीय राजनीति का दबाव हावी है, तो कहीं जयपुर सचिवालय में बैठे 'आकाओं' का वरदहस्त। आलम यह है कि बैंकिंग के 'ब' से भी अनजान लोगों को बैंक की कमान सिर्फ इसलिए सौंप दी गई है क्योंकि वे 'जी हुजूर' कहने में माहिर हैं। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं में अब निर्वाचित बोर्ड के बजाय 'मैनेजमेंट कोटे' के लोग मनमानी कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के अभाव में ये सहकारी बैंक अब किसान और ग्राहक कल्याण के केंद्र न रहकर, राजनीतिक सौदेबाजी के अड्डे बनकर रह गए हैं। विडंबना यह है कि यह खेल पहली बार नहीं हो रहा; 2014 में भी सत्ता के गलियारों से यही पटकथा लिखी गई थी। राज्य की अधिकांश सीसीबी में संचालक बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। साल 2022 में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव हुए थे, लेकिन प्रक्रिया इतनी सुस्त रही कि अब उनके कार्यकाल का महज एक साल शेष है। ऐसे में जब तक जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव की बारी आएगी, तब तक इन समितियों में फिर से 'प्रशासक राज' दस्तक दे चुका होगा। डर यही है कि इस चक्रव्यूह के कारण सीसीबी बैंकों के चुनाव फिर से एक दशक के लिए ठंडे बस्ते में न चले जाएं।

प्राधिकरण की चयनात्मक सक्रियता

राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण, जो एक स्वायत्त संस्था होने का दावा करता है, वर्तमान में अपनी निष्क्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि प्रदेश की कुल 30,139 पंजीकृत संस्थाओं में से मात्र 14,926 में ही चुनाव संपन्न हो पाए हैं। शेष आधे से अधिक संस्थाएं या तो नियति के भरोसे हैं या 'प्रशासकों' के नियंत्रण में। विडंबना यह है कि विभाग अपनी विफलता छिपाने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स-लैम्पस) के चुनावों को ढाल बना रहा है। छोटे स्तर पर किसानों के मतदान करवाकर लोकतंत्र का भ्रम पैदा किया जा रहा है, जबकि रसूख वाली 'शीर्ष संस्थाओं' के चुनावों पर जैसे अघोषित रोक लगा दी गई है। प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में लंबे समय से चुनाव नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। प्रदेश में पिछले 12 वर्षों से सीसीबी से लेकर अपेक्स तक की संस्थाओं में चुनाव लंबित हैं, जिससे बैंकिंग और प्रबंधकीय ढांचा कमजोर हुआ है। हमारी मांग है कि निर्वाचन प्राधिकरण अपनी निष्क्रियता त्यागकर सभी शीर्ष संस्थाओं और केंद्रीय सहकारी बैंकों में अविलंब लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न कराए, ताकि सहकारी संस्थाओं एवं उनके सदस्यों का हित सुरक्षित रहते हुए सहकारिता का मूल स्वरूप बहाल हो सके।

—सूरजभानसिंह आमेरा, कद्दावर सहकार नेता ।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक प्रकाश वैष्णव के लिए वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।